न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 601 सन 2018
अनवान :–

1. मनीराम पुत्र सावंलाराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अमीलाल 2 कृष्ण 3 कान्हाराम 4 ज्ञानाराम पि0 सांवलाराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. लिछमा पत्नि सावलाराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. रेशमा 7 प्रमेश्वरी 8 नतीया 9 सुमित्रा 10 मीरा 11 रोशनी पुत्रिया सावलाराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर।
12. धोली कुमारी उर्फ धोलू कुमारी पुत्री सावत्री पुत्री सावलराम जाति नायक निवासी नहराना तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08/01/2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 111/108 के खसरा न0 20/2.5160हैक, खसरा न0 87/14.0110हैक , खसरा न0 130 की 8.7750हैक , खसरा न0 197 की 1.3910हैक चारो खसरों की कुल 26.6930हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सावंलाराम के नाम से दर्ज है। सावलाराम वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज है जिनका एवं उनकी पत्नि लिछमा का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादीगण ही है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 5 वादी की माता प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 की बहन है तथा प्रतिवादीया संख्या 12 वादी की भानजी है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 इसलिये वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 जो वादी की माता/ बहने/भानजी है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के पिता सावलाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिसन प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात वादी भूमि जो सवंलाराम के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 जो वादी की माता/बहने /भानजी है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नहराना के खाता संख्या 111/108 के चारों खसरों की कुल 26.6930हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो सावंलाराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Sd/-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official